

UPJL010068072025



**न्यायालय: जिला जज, जालौन स्थान उरई।**  
पीठासीन: विरजेन्द्र कुमार सिंह, एच0जे0एस0,

प्रकीर्ण वाद संख्या 107/2025

श्रीमती निर्मला सिंह

प्रति

पुनीत सिंह आदि

**14.03.2026**

1. पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। आवेदिका श्रीमती निर्मला सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका के पति गुलाब सिंह रघुवंशी की मृत्यु दिनांक 04.08.2018 को हो गई है। विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक के पुत्र व पुत्री है। मृतक द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण पैरा 7 में दिया गया है, के सम्बन्ध में अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

2. विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। मुनादी व प्रकाशन कराया गया, किन्तु मुनादी व प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी।

3. आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि आवेदिका मृतक की पत्नी एवं विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक के पुत्र व पुत्री है। आवेदिका व विपक्षीगण के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी मृतक का नहीं है। आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची 5ग1 से बैंक पासबुक की छायाप्रति कागज सं0 6ग, मृतक गुलाब सिंह रघुवंशी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज सं0 7ग, मृतक गुलाब सिंह के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं0 8ग, मृतक के पेनकार्ड की छायाप्रति कागज सं0 9ग, आवेदिका के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं0 10ग, राशन कार्ड की छायाप्रति कागज सं0 11ग प्रस्तुत किये गये हैं।

4. विपक्षी संख्या-1 व 2 की ओर से जबावदावा/सहमति 14ख मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विपक्षीगण द्वारा मृतक गुलाब सिंह रघुवंशी द्वारा मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी सम्पत्ति के संबंध में आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। आवेदिका ने स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 25ख बतौर पी0डब्लू0-1 के रूप में दाखिल किया है, जिसमें उसने मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदिका मृतक की पत्नी तथा विपक्षी सं0 1 व 2 मृतक के पुत्र व पुत्री है।

5. अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदिका श्रीमती निर्मला सिंह तथा विपक्षी सं0-1 व 2 मृतक गुलाब सिंह रघुवंशी

के उत्तराधिकारी हैं। चूँकि विपक्षी सं० 1 व 2 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

### आदेश

आवेदिका श्रीमती निर्मला सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ख, अन्तर्गत धारा 372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 स्वीकार किया जाता है। मृतक गुलाब सिंह रघुवंशी द्वारा मृत्यु उपरान्त जालौन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि० उरई प्रधान कार्यालय के खाता संख्या 000813000003955 में छोड़ी गई धनराशि मु० 10,89,301/-रूपये (दस लाख नवासी हजार तीन सौ एक रूपये) मय ब्याज के संबंध में आवेदिका श्रीमती निर्मला सिंह के पक्ष में नियमानुसार देय न्याय शुल्क अदा करने के उपरान्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

आवेदिका श्रीमती निर्मला सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह इस आशय की अण्डर टेंकिंग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे कि यदि मृतक के किसी अन्य नजदीकी वारिस द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर आपत्ति की जाती है, तो वह इस उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को न्यायालय को समर्पित करेगी तथा यदि उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से कोई धनराशि आहरित की गई है, तो वह आहरित उक्त धनराशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज न्यायालय में जमा करेगी।

दिनांक 14.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला जज,  
जालौन स्थान उरई।  
जे.ओ.कोड यू.पी.-6525